राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 20 अक्तूबर, 1986

क्रमांक 933-ज(I)-86/31669.—श्री नारायण सिंह, पुत्र श्री गंगा सहाय, गांव दोला, तहसील गुड़गांवा, जिला गुड़गांवा, की दिनांक 7 जुलाई, 1984, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1)(ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नारायण सिंह की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर, जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 631-ज-(I)-74/20252, दिनांक 20 जून, 1974, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती फूलवती देवी के नाम रबी, 1985 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं ।

दिनांक 22 अक्तूबर, 1986

क्रमांक 932-ज-(I)-86/31980.—श्री रणजीत सिंह, पुत्र श्री गोकल सिंह, गांव भोंडसी, तहसील गुड़गांवा, जिला गुड़गांवा, की दिनांक 12 दिसम्बर, 1985 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1)(ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रणजीत सिंह की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 725-ज-(I)-83/21835, दिनांक 4 जुलाई, 1983 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती प्रेमवती के नाम खरीफ, 1986 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 986-ज(I)-86/31986.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री लक्ष्मण सैन शर्मा, पुत्र श्री प्यारा राम शर्मा, निवासी 161 सुभाष नगर माडल टाउन रोहतक, जिला रोहतक, को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 24 अक्तूबर, 1986

क्रमांक 930-ज(1)-86/32245.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1)(ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री चरण सिंह, पुत्र श्री रुजान सिंह, गांव भोंडसी, तहसील गुड़गांवा, जिला गुड़गांवा, को खरीफ, 1976 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

शुद्धि-पत्र

दिनांक 20 अक्तूबर, 1986

क्रमांक 966-ज(2)-86/31663.—हरियाणा सरकार राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 672-ज(2)-86/24814, दिनांक 18 अगस्त, 1986 जो हरियाणा सरकार के राजपत्र दिनांक 26 अगस्त, 1986 को प्रकाशित हुई है, की मुद्रित प्रति की पांचवी लाईन में हरियाणा सरकार की बजाये पंजाब सरकार तथा सातवीं लाईन में खरीफ 1986 की बजाये खरीफ 1985 पढ़ा जाये ।

दिनांक 21 अक्तूबर, 1986

क्रमांक 945-ज-(2)-86/31721.—हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक 671-ज-(2)-86/21730, दिनांक 22 जुलाई, 1986, जो हरियाणा सरकार के राजपत्र दिनांक 29 जुलाई, 1986 में प्रकाशित की गई है, की दूसरी लाईन में "17 अप्रैल, 1982" की बजाये "17 अप्रल, 1986" पढ़ा जाये ।